>

Title: Need to sanction proposals sent by State Government to ensure proper implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna in Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। भारत सरकार का जो विजन 2025 है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सामान्य विकास खण्डों में 500 से अधिक आबादी वाले तथा आदिवासी विकास खण्डों में 250 से अधिक आबादी वाले की बसाहटों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में 500 से अधिक आबादी वाले 6333 एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले 1428 कुल 7761 बसाहटों को जोड़ने के लिए 23000 किमी. सड़कों की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अभी शेष है। चूंकि मध्य प्रदेश देश के भीतर अकेला ऐसा राज्य है, जिसने समय सीमा में पूर्व में जो कार्य की स्वीकृतियां दी गई थी, उन कार्यों को पूरा कर लिया गया है। शेष 7761 बसाहटों के लिए डी.पी.आर. तैयार करवाकर भारत सरकार को माह फरवरी, 2010 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परन्तु भारत सरकार द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ यह कह कर लौटा दिया गया कि ये प्रस्ताव भारत निर्माण के अनुरूप नहीं हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जैसा मैंने पहले कहा, सबसे बेहतर कार्य करने का अपना वायदा पूरा किया, उनको प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह से ए.डी.बी. के तहत 1000 किमी. प्रति वर्ष सड़क बनाने की हमें स्वीकृति प्रदान करने की बात चल रही है, लेकिन हमारी मांग है कि प्रति वर्ष 3000 किमी. सड़क के निर्माण की स्वीकृति हमें मिलनी चाहिए। तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह, जो हमारे नक्सल प्रभावित नौ जिले हैं, जिनमें लगभग 2000 किमी. सड़क के प्रस्ताव भी भारत सरकार के पास प्रेषित किए गए, उनमें भी अभी स्वीकृति नहीं हुई है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।